कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

दिनांक- 28/02/2025

क्रमांक:-व .15( )जोध-पु.आ./विविध/2025/783

खुली निविदा सूचना सं. 07/2024-25

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की बैण्ड शाखा के मुलाजमानों हेतु 20 जोडी. सफेद ठण्डी वर्दी कोट पेन्ट (जोधपुरी) निविदा अनुसार एवं सम्पूर्ण सिलाई कार्य कर वर्दी तैयार करवाने हेतु क्रय करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इच्छुक फर्मो/व्यक्तियों से मोहरबन्द खुली निविदाए आमन्त्रित की जाती है।

निविदा की अनुमति वार्षिक लागत रू. 2.56 लाख है। अतः धरोहर राशि रूपये 5200.00 का डिमांड ड्राफट निविदा के साथ सलंग्न पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के नाम प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 06.03.2025 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय में 500/-रूपये का नकद राशि/ डी.डी./बैंकर चैक जो कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के नाम देय हो जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 06.03.2025 को 03.00 पीएम तक निविदाऐं कार्यालय में प्राप्त की जायेगी व उसी दिन 04.00 पीएम पर उपस्थित निविदाकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा सम्बन्धी शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में एवं विभागीय बेवसाईट www.jodhpurcitypolice.rajasthan.gov.in Sppp.raj.nic.in. पर देखी जा सकती है।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर।

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राज. जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निविदा सूचना 01 क्षैत्रिय स्तर के दैनीक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(2)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 31.03.17 के अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर बोली का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसका UBN NO. ....and NIB Code.. है।
2. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. संस्थापन अधिकारी, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
6. प्रभारी, लेखा शाखा, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
7. संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन, आयुक्तालय जोधपुर को 10 प्रतियाँ संलग्न स्थानीय फर्मो को उपलब्ध करानें, उनसे प्राप्ति हस्ताक्षर लेने एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
8. कैशियर, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
9. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा कार्यालय हाजा को संलग्न निविदा प्रपत्र विभागीय वेवसाईट www.jodhpurcitypolice.rajasthan.gov.in/Sppp.raj.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित कर लेख है कि आज ही UBN NO. and NIB Code से अवगत करावे ताकि निविदा में इन्द्राज कर निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु भिजवाई जा सकें।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर।

कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

खुली निविदा-प्रपत्र

1.विषय .... के लिए निविदा (उन वस्तुओं का नाम लिखिये जिनके लिए निविदा पेश की गये हो)

2.निविदा देने वाली फर्म का नाम व पूरा पता ....
....

3.किसको सम्बोधित किया गया-(पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जोधपुर)

4.सन्दर्भ-स.4( )जोध.पु.आ./विविध/2024/........ दिनांक .... प्रकाशित निविदा के क्रम में।

5.निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- द्वारा नकद/डी.डी./रसीद संख्या..............दिनांक...........के जमा करा दी गई है।

6.हम ....द्वारा जारी किये गये निविदा सूचना संख्या............दिनांक.............. में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।)

7.फर्म आदेश प्राप्ति की तिथि से दी गई समय अवधि के भीतर माल/कार्य कर दिया जायेगा।

8.अमानत हेतु 5200.00/-रूपयें का डिमाण्ड ड्राफट -(पुलिस उपायुक्त, मुख्याल जोधपुर के नाम का पेश करना होगा।

9.वर्दी की दरें जी.एस.टी. सहित उल्लेखित करावें।

10.वर्दी का कपडे.का सेम्पल निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.निविदा में प्रस्तावित सामग्री की दरें निम्नॉनुसार है।

कं. सं.	विवरण	मात्रा प्रति नग	संवेदक द्वारा प्रस्तुत की दरें ज.एस.टी.सहित
1	सफेद रेमण्ड कपड़ा कोर्ट के लिये ठण्डी (3.25 मीटर प्रत्येक कर्मचारी)	20 नग	
2	सफेद कपड़ा पेन्ट के लिये रेमण्ड ठण्डी (0.50 मीटर प्रत्येक कर्मचारी)	20 नग	
3	जरी बेल्ट	20 नग	
4	पगडी. ब्लू बैन्ड वर्दी	20 नग	
5	जरी सोल्डर	20 नग	
6	जरी नेमप्लेट	20 नग	
7	नेमप्लेट जरी	20 नग	
8	अशोक स्तम्भ के बटन	20 नग	
9	बैण्ड मास्टर वर्दी पर लगने वाले जरी सोल्जर कोट पेन्ट कपड़ा सिलाई सहित सम्पूर्ण कार्य अच्छी क्वालीटी का	20 नग	
10	टी.एस.एफ.शूज कय	20 नग	

निविदा की शर्ते:-

सूचना-निविदा भरने वालो को अपनी निविदाओं को (टेण्डर) भरने से पूर्व इन शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये।

1.प्रदत सभी सामग्री की किस्म एवं साईज निविदा में अंकित विवरण के अनुसार ही होनी चाहिए एवं दरें सभी कर सहित हो।

2.निविदा को उचित प्रकार से मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।

3.दरों को किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये तथा दरों का इन्द्राज अंको व शब्दों दोनों में किया जाना चाहिये।

4..सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, जो कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत होगी, अनुबन्ध के साथ जमा डी.डी. के रूप में करवानी होगी। जो कि बिना ब्याज के अनुबन्ध समाप्ति पर लौटाई जावेगी।

5.अनुमोदित वितरक को वितरण किये जाने वाले सामान की शर्तो विशिष्ठ विवरण मैक आदि की सावधानी पूर्वक जांच किया हुआ माना जायेगा। यदि उसे इन शर्तो या विशेष विवरणों आदि किसी भाग के अर्थ के बारें में कोई सन्देह होगा तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करेगा तथा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

06.वितरण की गई सभी वस्तुऐ उनके लिये निर्धारित विशेष विवरणों, ट्रेड मार्क अनुसार एवं किसी अन्य पदार्थो के मामले में जिनकी कि स्टेन्डर्ड या अनुमोदित सप्लाई न हो तो उस हालत में वितरण की सामग्री बहुत ही उत्तम किस्म की होगी और उसका विवरण भारत में उपलब्ध हो सकेगा। सामान की किस्म के बारे में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा वह निविदा देने वाले के लिये मान्य होगा। यदि वितरण की गई कुछ वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाती है एवं इस प्रकार की वस्तुऐ रदद करने योग्य या परिवर्तन करने योग्य होगा एवं इस प्रकार के वितरित नाम के रद्द करने से या उसकी परिवर्तन करने में यदि व्यय या हानि निविदा देने वाले को सहन करनी पड़ेगी

07.कय करने वाला अधिकारी या उसका उचित रूप से प्रतिधिकृत प्रतिनिधी सभी उचित समयों पर वितरक के कार्यक्षेत्र में जाता रहेगा तथा वह सभी उचित समयों पर निरीक्षण करने तथा माल के पदार्थ आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रखेगा।

8.यदि अनुमोदित क्वालिटि, या साईज से भिन्न, अन्य माल सप्लाई किया जाता है तो वे रद्द किये जावेगें तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलने होंगे।

9.रद्द किया गया माल उसके रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त करने की तारीख निविदा देने वाले के द्वारा उस स्थान से 10 दिन के समय के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। संबंधित राज्य कर्मचारी ऐसे माल की संभाल के लिये उचित सावधानी हानि, कमी नुकसान के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।

10.निविदा देने वाले व्यक्ति माल को ठीक तरह से पैक करने के लिए उत्तरदायी है जिससे कि किसी प्रकार के वाहन से भेजते समय नुकसान नहीं हो सके तथा माल अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त किया जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूटा-फूटा या लुक करने या अन्य कमी की दशा में निविदा देने वाले को माल द्वारा माल का निरीक्षण करने में जो भी इस प्रकार की हानि पाई जायेगी उसे पूरी करनी होगी।

11.सभी कथित दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. होनी चाहिये।

12.निविदा देने वाले व्यक्ति को, जिसका कि निविदा स्वीकृत किया जाता है, आदेश देने की तिथि से दी गई समय अवधि के भीतर वर्दी तैयार करनी होगी। सप्लाई का अनुबन्ध किसी भी समय भंग किया जा सकता है। यदि वितरण सरकार की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया है।

13.निविदा स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडियन) एवं परिवर्तन नही किया जाना चाहिये। कोई भी ओवर राईटिंग नही की जानी चाहिये। यदि कोई संशोधन करना हो तो वह साफ होना चाहिये तथा इस पर उसके लघु हस्ताक्षर होने चाहिये।

14.निविदा देने वाले को प्रपत्र के हर पृष्ठ के अन्त में निविदा एवं अनुसंधान की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे।

15.सफल सेवा प्रदाता को नियमानुसार राशि रूपयें 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। इस बिड में वर्णित समस्त शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा होगी।

16.फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण में जो भी व्यय होगा, वह फर्म द्वारा किया जायेगा।

17.यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ठ अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रह जाता है या क्रय कर्ता अधिकारी को पुनः निविदा आमंत्रित करके या अन्यथा प्रकार से सप्लाई की व्यवस्था करने को स्वतन्त्रता होगी।

18.यदि परस्पर समझौता हो जाये तो निविदा की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

19.सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्नतम निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदाओं को उसके कारणों को बतलाये बिना रद्द कर सकती है। निविदा द्वारा आमंत्रित की मात्रा या वस्तुओं में से सरकार के निर्णय पर उन संपूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिये आदेश दिये जा सकते है। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं निर्णय का क्षेत्र जोधपुर न्यायालय होगा।

20.बयाना राशि का समपहरणः- बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगाः-

i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

ii) जब निविदादाता निविर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

21. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages):- परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले मे, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की 1/4 अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
(ख) 1/4 से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत
(ग) 1/2 से अधिक किन्तु विहित अवधि के 1/3 से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत-
(घ) विहित अवधि की 3/4 से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
(4) यदि प्रदायकर्ता(सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारिख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बांधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

21.समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जोधपुर मे स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्रा पेश नही की जाएगी।

22.सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से विभागीय अनुबंध की पालना नही करने पर अगर द्वितीय/तृतीय न्यूनतम दर वाली फर्म/निविदा से विभाग द्वारा कय किया जाता है तो ऐसी दशा में करो के अंतर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

23.एक ही वस्तु/सामग्री की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्मो/निविदादाता की समान पायी जाती है तो विभाग किसी भी फर्म/निविदादाता से अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र होगा।

24.निविदा प्रकिया में जिन-जिन फर्मो/निविदादाताओ की दरे न्यूनतम पायी जायेगी उन फर्मो/निविदादाताओ से अनुबंध करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

25.प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहत किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलें में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

26.निविदादाता को निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रतिलिपि व जीएसटी/सेवा कर पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

27.निविदा के अनुलग्नक A,B,C,D हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रस्तुत करना होगा एवं अनु. E 100/-रू.के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

28.निविदा को निरस्त करने का सक्षम अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

29.समस्त सामग्री की गारंटी/वारंटी अंकित करनी अनिवार्य होगी।

30.निविदादाता को उक्त सामान सप्लाई करनपे का पूर्ण 02 वर्षो का पृतिष्ठित संस्थानों में कार्यानुभव होना चाहिए तथा पूर्ण पृशिक्षित होना अनिवार्य है।जिसके प्रमाण पत्रों की सत्यापित पृति संलग्न करनी होगी।

31.राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (आर.टी.पी.पी. नियम 2013) के सभी प्रावधान उक्त निविदा में प्रभावी होगे निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा।

32.सशर्त निविदाए एवं निर्धारित प्रपत्र के अलावा अन्य प्रपत्र में प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय आयुक्तालय
जोधपुर।